



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-27052026-272903
CG-TL-E-27052026-272903

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2578]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948

No. 2578]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 25 मई 2026

का.आ. 2671(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), में 23.01.2026 को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), संख्यांक का.आ. 360) ई(, 22.01.2026 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित का.सं. 332 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्थात् 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25के.वी. से 2x25के.वी. में उन्नयन कार्य-तेलंगाना राज्य में मेड्चल-मलकाजगिरि जिले में घटकेसर मंडल के यन्नामपेट और घटकेसर गांव में सिकंदराबाद-काज़ीपेट सेक्शन में घटकेसर टीएसएस का निर्माण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार, तेलुगु समाचार पत्रों में "एबीएन आंध्र ज्योति" और "नमस्ते तेलंगाना," अंग्रेजी समाचार पत्रों में "द हिंदू" और "द इंडियन एक्सप्रेस" हिंदी समाचार पत्र में "हिंदी मिलाप" और उर्दू समाचार पत्र "सियासत" में दिनांक 29.01.2026 को मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर, निर्माण- II, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद के अनुमोदन से प्रकाशित किया गया था;

और जबकि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, बापट्ला को धारा 20डी आपत्तियां प्राप्त हुई और रेलवे अधिनियम 1989 के धारा 20डी के उप-धारा(2) अंतर्गत इनपर विचारोपरान्त आपत्तियों को अस्वीकार किया गया.

और जबकि एलए कीसरा के लिए सक्षम प्राधिकारी ने धारा 20डी के अंतर्गत आपत्तियां प्राप्त की और जांच पूरी होने के बाद रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20डी की उपधारा (2) के अंतर्गत आपत्तियों को अस्वीकार्य किया गया और तदनुसार आदेश पारित किए गए और, जबकि उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है ;

अतः अब सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : तेलंगाना राज्य में मेडुचल-मलकाजगिरि जिले में घटकेसर मंडल के यन्नामपेट और घटकेसर गांव में 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25के.वी. से 2x25के.वी. में उन्नयन कार्य के लिए सिकंदराबाद-काज़ीपेट सेक्शन में घटकेसर टीएसएस का निर्माण”

क्र.सं.	मंडल का नाम	गांव का नाम	सर्वे.सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	एंजॉयर का नाम	अधिग्रहण क्षेत्र एकड़ गुंटा में	संरचनाएं /अभ्युक्ति
1	घटकेसर	यन्नामपेट	82/1	पट्टा	शुष्क	देशम रवींदर गौड़ सुपुत्र स्व.अंजय्या	0-24.8	
2			82/1	पट्टा	शुष्क	टी.ज्योति पत्नी टी.बाबु राजु	0-01.0	
कुल							0-25.8	
3	घटकेसर	यन्नामपेट	84/1	पट्टा	शुष्क	देशम प्रभाकर गौड़ सुपुत्र स्व.अंजय्या	1-09.5	
कुल							1-09.5	
4	घटकेसर	घटकेसर	587/1	सीलिंग पट्टा	शुष्क	ग्यारा नरसिंहा सुपुत्र येदुय्या	0-07	
5			587/1	सीलिंग पट्टा	शुष्क	ग्यारा मैसय्या सुपुत्र येदुय्या	0-07	
कुल							0-14	
सकल योग							एकड़ 2-09.3 गुंटा	

[फा.सं. W.Con/182/SRP/TSS/GT/20E]

मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 25th May, 2026

S.O. 2671(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S O No 360(E), Dated: 22.01.2026 published in Gazette of India vide no 332 Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 23.01.2026 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, "Construction of Ghatkesar TSS in Secunderabad-Kazipet section for Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV traction system to meet 3000MT loading target" in Yamnampet & Ghatkesar Village of Ghatkesar Mandal in Medchal- Malakjgiri District in the state of Telangana.

And whereas the substance of the said notification has been published in "ABN Andhra Jyothi" & "Nameste Telangana" in Telugu Newspaper, "The Hindu" & "The New Indian Express" in English Newspapers, "Hindi Milap" in Hindi Newspaper and "Siasat" in Urdu Newspaper on 29.01.2026 with the approval of Mothilal Bhookya, Chief Engineer, Construction-II, South Central Railway, Secunderabad.

And whereas Competent Authority for LA Keesara received objections U/s 20D and after completion of enquiry disallowed the objections under Sub section (2) of Section 20D of Railways Act 1989 and accordingly orders have been passed And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: "Construction of Ghatkesar TSS in Secunderabad- Kazipet section for Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV traction system to meet 3000MT loading target" in Yamnampet & Ghatkesar Village of Ghatkesar Mandal in Medchal- Malakjgiri District in the state of Telangana.

S. no.	Name of the Mandal	Name of the Village	Sy. no.	Type of land	Nature of land	Name of the enjoyer	Extent in Ac – Gts	Structure/ Remarks
1	Ghatkesar	Yamnampet	82/1	Patta	Dry	Desham Ravinder Goud S/o Late Anjaiah	0-24.8	
2			82/1	Patta	Dry	T.Jyothi W/o T. Babu Raju	0-01.0	
Sub Total							0-25.8	
3	Ghatkesar	Yamnampet	84/1	Patta	Dry	Desham Prabhakar Goud S/o Late Anjaiah	1-09.5	
Sub Total							1-09.5	
4	Ghatkesar	Ghatkesar	587/1	Ceiling Patta	Dry	Gyara Narsimha S/o Yettaiah	0-07	
5			587/1	Ceiling Patta	Dry	Gyara Maisaiah S/o Yettaiah	0-07	
Sub Total							0-14	
Grand Total							Ac 2.09.3 Gts	

[F. No.: W.Con/182/SRP/TSS/GT/20E]

MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con-II